<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा **"Enhancement in mining lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project", M.L. No.- 73/2008, Area- 4.56 ha., near village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.),** के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 26 जून 2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ.कोटा/माईन्स–134/190 दिनांक 28/04/2025 व जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक–प.2( )राजस्व–।/जनसुनवाई/24/2421–28 दिनांक 15/05/2025 की अनुपालना में मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Enhancement in mining lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project", M.L. No.- 73/2008, Area- 4.56 ha., near village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 26/06/2025 को "ग्राम पंचायत भवन–चेचट, तहसील–चेचट, जिला–कोटा" में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त ज़िला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों 'द इंडियन एक्सप्रेस व सांध्य दैनिक इवनिंग न्यूज में दिनांक 02/05/2025, **(परिशिष्ट–'अ')** को प्रकाशित करवाई गई थी तथा जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी–गण व क्षेत्र के ग्राम वासी तथा अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर **(परिशिष्ट–'ब')**, जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग **(परिशिष्ट–'स')** एवं फोटोग्राफ्स **(परिशिष्ट–'द')** सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुकों का स्वागत किया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा द्वारा अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन व अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

योग्यता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

श्रीमती योग्यता सिंह ने खनन परियोजना के तकनीकी सलाहकार मैसर्स विस्तारा एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. के प्रतिनिधि को प्रस्तावित परियोजना के बारे में एलईडी टीवी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजनाओं का परिचय, परियोजनाओं का प्रस्ताव, परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, कलस्टर नक्शा, नकल व खसरा नक्शा, खदान पर जाने का रास्ता, सामान्य विवरण, जलवायु विज्ञान, सामाजिक स्थिति विवेचन, स्थानीय भू–गर्भ शास्त्र, जल निकासी, भू–वैज्ञानिक एवं खनन योग्य भण्डारण, खनन की आयु, खनन का उपयोग, खनिज का उपयोग, खनन विधि, मशीनरी का विवरण, रोजगार की संभावना, योजना की अवधि के अन्त में भूमि का उपयोग, अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण विश्लेशण के परिणाम, पारिस्थतिकी एवं जैव विविधता अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, वातावरण, अनुमानित पर्यावरण अपेक्षित प्रभाव एवं उनके अल्पीकरण के उपाय, पर्यावरण मापदण्डो की निगरानी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट, प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण, व्यवसायी/कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कलस्टर क्षेत्र के 10 किलोमीटर बफर जोन की जानकारी, वायु प्रदूषण व नियत्रंण के उपाय व जल की गुणवत्ता का प्रबंध, ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय के बारे में विस्तृत रूप से एलईडी टीवी के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय को बताया गया।

श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बताया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होने के कारण खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी/तहसीलदार से भूमि चिन्हित कर नियमानुसार सघन वृक्षारोपण किया जावें।

इसके पश्चात श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों व जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया, साथ ही बताया की कोई भी उपस्थित नागरिक लिखित व मौखिक रूप से अपने सुझाव यहां दे सकते है। यहां पर उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि व तकनीकी सलाहकार उत्तर देंगे।

उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

योग्यता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

1. **श्री ओम प्रकाश तंवर, उपसरपंच, ग्राम–चेचटः–** श्री ओम प्रकाश तंवर द्वारा बताया गया कि सी.एस.आर. के कार्य ज्यादा से ज्यादा कराया जायें तथा वाल्मीकि बस्ती के सामुदायिक केंद्र में पंखे लगाएं जाएं।

श्री बी. एल. नागर, माइंस मेनेजर द्वारा बताया गया कि वाल्मीकि बस्ती के सामुदायिक केंद्र में पंखे लगा दिए जाएंगें।

2. **श्री कजोड़ जी, ग्राम–कोटड़ीः–** श्री कजोड़ द्वारा बताया गया कि उनका खेत खनन क्षेत्र के पास है, खनन क्षेत्र में एकत्रित जल कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है, अतः परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं।

उक्त लोक जन–सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

योग्यता

(श्रीमती योग्यता सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
जिला–कोटा, राजस्थान

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

परिशिष्ट - "ब"

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा **"Enhancement in mining Lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project"**, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे "ग्राम पंचायत भवन, चेचट", तहसील–चेचट, जिला–कोटा में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका–

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गॉव का नाम	हस्ताक्षर
1.	Mukesh Kumar Chowdhary	ADM, Kota	[signature]
2.	Yoggata Singh, RO, RPCB	RPCB, Kota	योग्यता
3.	[illegible] Verma,	Tech. [illegible] Chechat	[signature]
4.	Anurag Singh	AEE, RPCB, Kota	[signature]
5.	Rohit Sethi	Owner	[signature]
6.	BrijGopal Nagar	Manager mine	[signature]
7.	Nadim Gandhi	Vitasta Consultant	Nadim
8.	[illegible] Amin	Vitasta Consultant	[signature]
9.	Brahmdev Aheer	(Chot) Chechat	[signature]
10.	Mohanlal Nagar	Chechat	[signature]
11.	OmPrakash Tanwar Up Sarpanch	Chechat	[signature]
12.	[illegible] कुमार [illegible]	चेचट	[signature]
13.	Abdul Sattar	Chechat	[signature]
14.	Mohammed Hussain	Chechat	[signature]
15.	[illegible]	चेचट	[signature]

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गाँव का नाम	हस्ताक्षर
16.	अजरूद्दीन	खेड़ली	अजरूद्दीन
17.	कन्हैया लाल नागर	कोटड़ी	[illegible]
18.	धनराज	चेन्पट	धनराज
19.	सोनू	चेन्पट	सोनू
20.	तूफान सिंह	चेचट	तूफान
21.	रवि कुमार	चेचट	[illegible]
22.	[illegible] साहनी	गुडाला	[illegible]
23.	लेखराज	चेचट	[illegible]
24.	सलीम	खेड़ला	सलीम
25.	शिवराज	हाथ्या खेड़ी	शिवराज
26.	बाबु	दारूपुरा	बाबु
27.	ओमप्रकाश	चेचट	ओमप्रकाश
28.	हेमन्त	खालेरापुरा	हेमन्त
29.	मुश्ताक	मोडक	मुश्ताक
30.	रामदयाल		रामदयाल
31.	राहुल	चेचट	राहुल
32.	प्रकाश	चेचट	प्रकाश
33.	रामचन्द्र	चेचट	रामचंद्र
34.	रणजीत	चेचट	रणजीत
35.	कजोड़	कोटड़ी	कजोड़

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गाँव का नाम	हस्ताक्षर
36.	लालचन्द	सींदी	लालचन्द
37.	उमाशंकर	चेचट	उमाशंकर
38.	रामस्वरूप	अरलाई	रामस्वरूप
39.	रामसुदीन	खेड़ली	रामसुदीन
40.	मुकेश	चेचट	मुकेश
41.	रामलाल	[illegible]पुरा	रामलाल
42.	हिम्मत राज	कंवरपुरा	हिम्मत राज
43.	धीरज	चेचट	धीरज
44.	दिनेश प्रजापत	करणपुरा	दिनेश प्रजापत
45.	बालमुकुन्द	सालेडा खुर्द	बालमुकुन्द
46.	रवाज	खेड़ली	रवाज
47.	अली	खेड़ली	अली
48.	रामस्वरूप	कँवरपुरा	रामस्वरूप
49.	चेतन	चेचट	चेतन
50.	कन्हैयालाल	चेचट	कन्हैयालाल
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			

(where ever applicable) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and the applicable rules there under.

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Dated : 20.05.2025
Place: Rajasthan

Authorized Officer,
Authum Investment & Infrastructure Limited

परिशिष्ट-अ

NOTICE is hereby given that the Certificate for 61 Equity Shares of **ABB India Limited** bearing Equity certificate Nos. 105820, 122758 122760, 259042, 295043 and Distinctive Nos. 29642010 29642055, 37395169 37395183 under the Folio No H0010114 of **ABB India Ltd** standing in the name of **Hari Om Gupta** has been lost or mislaid and the undersigned have applied to the Company to issue duplicate Certificate for the said shares. Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited. Selenium Tower B, Plot 31 32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad 500032 within one month from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificate.

Hari Om Gupta
584, Budh Vihar, C Block, Alwar, Rajasthan - 301001

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा - 324004
E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com ☎:0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी, सी/ओ निवासी प्रथम तल, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा, जिला- कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Enhancement in mining Lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project". M.L. No. 73/2008, Area- 4.56 ha., near village- Chechat. Tehsil-Ramganjmandi. District- Kota. (Raj.) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए गए है। चूंकि, मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Enhancement in mining Lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project", के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं:-(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा। (4) क्षेत्रीय कार्यालय; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा। (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा। (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (9) कार्यालय तहसीलदार, चेचट। (10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद। (11) कार्यालय ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-चेचट, जिला-कोटा। अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एत्तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.06.2025 को "ग्राम पंचायत भवन, चेचट", तहसील-चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड्-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से - (योग्यता सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी

आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लि.
शाखा रेवदर : (02975) 283110 मो. 9414151202, 9414152572

अधिग्रहण (कब्जा) सूचना
[परिष्टि 4 नियम 8(1) कब्जे की सूचना (स्थावर सम्पति के लिये)]

यह वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अन्तर्गत और धारा 13(12) के संपादित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अधिन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 08.01.2024 को जारी किया, जिसमें ऋण खाता संख्या एमबी–251 में ऋणी श्री सुरेन्द्रसिंह देवड़ा पुत्र श्री भीखसिंह देवड़ा, जमानती व रहनकर्ता श्री भीखसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह एवं जमानती श्री खंगाराराम पुत्र श्री सांकलाराम को नोटिस में ऋण में उल्लेखित राशि रू. 2,79,761/– (रूपये दो लाख उनासी हजार सात सौ इकसठ मात्र) दिनांक 30.12.2023 तक ब्याज सहित तथा ब्याज, पैनल ब्याज व अन्य खर्च इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्द्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 15.05.2025 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पति को कब्जे में लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्द्वारा सम्पति के साथ कोई संव्यवहार नही करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार ऋण खाता संख्या एमबी–251 में उल्लेखित राशि रू. 1,20,923.17 (रूपये एक लाख बीस हजार नौ सौ तेईस एवं सत्रह पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज, पैनल ब्याज व अन्य खर्चे आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा रेवदर (राजस्थान) के प्रभार के अधिन होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पति का वर्णन :

सम्पति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो अचल सम्पति जो गांव थाल, पोस्ट डबानी, तहसील रेवदर जिला सिरोही स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्गफीट है। इसका पट्टा ग्राम पंचायत डबानी ने दिनांक 15.04.2008, बुक नं. 9, मिसल नं. 02, पट्टा नं. 45, दायर दिनांक 23.02.2007 है, इस सम्पति का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय रेवदर में दिनांक 05.05.2008 बुक नं. 1, जिल्द नं. 152, पेज नं. 40, क्र.सं. 2008000406 व अतिरिक्त बुक नं. 1, जिल्द नं. 241, पेज नं. 365 से 372 से पंजीकृत है। यह सम्पति श्री भीखसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह द्वारा रहन रखी गयी है। जिसकी चारों ओर की सीमाएं निम्न है :–

उत्तर : अर्जुनसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह का मकान, दक्षिण : देवीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह का मकान, पूर्व : रास्ता एवं स्वअधिकृत भूमि एवं पश्चिम : अभयसिंह, रणजीतसिंह, मनोहरसिंह, शम्भुसिंह पुत्र श्री उदयसिंह का मकान

स्थान : सिरोही, राजस्थान
दिनांक : 16.05.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लि.

UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD
Registered office at: Unit 2009-14, 20th Floor, Tower –2,Magnum Global Park, Golf Course Extension Road, Sect-58, Gurugram (Haryana)-122011") CIN:U65922HR2016PTC057984.

DEMAND NOTICE U/S(13)2 SARFESI ACT

As the loan account become NPA therefore **Authorised officer u/s 13[2] the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** had issued 60 days demand notice to Borrower/Applicant/Guarantor/Mortgagor as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of mortgage property/secured assets mentioned below. Therefore, the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with the future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provision of 13[4] and 14 of said act, the authorised officer is taking possession for sale of the mortgage property/secured assets as given below.
Borrowers to take note that after receipt of this notice in terms of 13[13] of the act ,2002, you are prohibited and restrained from the transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor.
Borrowers' attentions are attracted towards sec-13[8] R/W rule 3[5] of the security Interest (enforcement) Rule,2002 Act that the borrower shall be entitled redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist

Sr. No.	Name Of Borrower/ Applicant /Guarantor /Mortgagor	Date And Amount Of Demand Notice U/S 13[2]
1.	**1. Kalu Ram S/o Sanwar Ram (Borrower), 2. Kuki Devi W/o kalu Ram (Co-Borrower) Both Above Residing At-** Dewasio Ka Bas, Borunda, Jodhpur, Rajathan-342604, **3. Saval Ram S/o Siya Ram (Co-Borrower) Residing At-**Patwar Mandal Ke Samane DewasioaKaBass,Borunda,JodhpurRajasthan-342604 **Loan No - LXMER01223-240028629 Loan Agreement Date: 19-Sep-2023 Loan Amt Rs:12,00,000/-**	**11-Apr-2025 Rs.1226716/- (Rupees Twelve Lacs Twenty Six Thousand Seven Hundred Sixteen Only) As On 11-Apr-25 + Further Interest And Other Charges From The Date 12-Apr-2025**
DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY : All That Part And Parcel Of Property Bearing Patta No. 99, Book No. 33, Dated 07.08.2003, Missal No. 14/18.07.01 Sankalp No.03 Dated 20.03.2002, Area Measuring 2150 Sq.Ft. Situated At- Gram Borunda , Gram Panchayat Borunda, Teshil Pipad City, District- Jodhpur, Rajasthan. **Bounded As : - East** - Aam Rasta, **West** - Javntaram S/o Pema Ram Dewasi, **North** - Javntaram S/o Pema Ram Dewasi & **South** - Aam Ratsa		
2.	**1. Shaitana Ram S/o Sajan Ram (Borrower) 2. Mohani Devi W/o Shaitana Ram (Co-Borrower) 3. Sajan Ram S/o Kebu Ram (Co-Borrower) All Above Residing At-** Bagudo Ki Dhani, Khara, Jalore, Rajasthan - 343041 **Loan No - LXBML03222-230020598, Loan Agreement Date: 22-Nov-2022 Loan Amt Rs.590,000/-**	**12-May-2025 Rs.585,095/-(Rupees Five Lacs Eighty Five Thousand Ninety Five Only) As On 12-May-25 + Further Interest And Other Charges From The Date 13-May-2025**
DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY : All That Part And Parcel Of Residential Property Situated At Patta No. 5105 Book No. 103, Missal No.08, Sankalp No.1(5) Dated 06-07-20217. Admeasuring Area 1558 Sq.Ft. Situated At-Gram- Khara, Gram Panchayat Khar Panchayat Samiti Sanchore, Tehsil Sanchore, District- Jalore, Rajasthan. **Bounded As- East**-Plot Of Suja/Khiyaram, **West**- Plot Of Shankara/Jodharam, **North**- Plot Of Kala/ Bhuta, **South**-Sadak		
3.	**1. Kapil Panchal S/o Jagdish Chandra Panchal (Borrower) 2. Pramila Panchal W/o Jagdish Panchal (Co-Borrower) Both Above Residing At-** Potaliya, Kushalgarh, Banswara, Rajasthan - 327801 **Loan No - LXBAN02923-240025781 Loan Agreement Date: 20-Jun-2023 Loan Rs.800000/**	**13-May-2025 Rs.847,190/-(Rupees Eight Lacs Fourty Seven Thousand One Hundred Ninety Only) As On 13-May-2025 + Further Interest And Other Charges From The Date 14-May-2025**
DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY : All That Part And Parcel Of Residential Plot Having Area Measuring 420 Sq.Ft. (East To West 12 Ft. * North To South 35 Ft.) Araji No. 972/163 (Old Araji No. 163) Situated At Gram Potliya, Patwar Mandal Potliya, Tehsil Kushalgarh, District-Banswara, Rajasthan. **Bounded As North**- Rasta, **South**- Agriculture Land Of Prabhu & Others, **East**- House Of Darshan Singh Chouhan, **West**- House Of Dagdish Damor		
4.	**1. Ramgopalraigar S/o Ruda Ram (Borrower) 2. Bhawri Devi W/o Ramgopal Raigar (Co-Borrower) Both Above Residing At-** Plot No. 2, Raghunathpura, Jalsu, Jaipur, Rajasthan - 303701 **Loan No - LXJPR02922-230019688 & LXSKR03023-240031537 Loan Agreement Date: 30-Sep-2022 & 18-Dec-2023 Loan Amt Rs.550000/- + Rs.350000/-**	**16-May-2025, Rs.553,880/-& Rs.359,667/- Total Aggregate Amount Of Rs.913,547/- (Rupees Nine Lacs Thirteen Thousand Five Hundred Forty Seven Only)As On 16-May-25 + Further Interest And Other Charges From The Date 17-May-2025**
DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY : All That Part And Parcel Of Property Bearing Plot No. 2, Admeasuring Area 100 Sq. Yrds.,Situated At Scheme Shyam Colony, Gram Raghunathpura, Tehsil Amer, Jaipur, Rajasthan. **Bounded As East** - Plot No. 3, **West** - Plot No. 1, **North** - 20 Ft. Wide Road, **South** - Plot No. 4		

Date: 20-May-2025
Place: Gurugram

Authorized Officer, Mr. Gaurav Tripathi Mobile- 9650055701
UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD.

रजामंदी से ही किया जा सकता
प्रस्ताव रखा था कि संधि पर नए
ने इसे स्वीकार नहीं किया। उल्टे
र रतले जल विद्युत परियोजनाओं
मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
एकतरफा है। वह चाहता है कि
जल के उचित बंटवारे पर बात हो
न लेना पड़े। उसने शिमला एग्रीमेंट
मानने की भी धमकी दी
बढ़ेगा ही
।

भारत की परिपक्व रणनीतिक सोच और सैन्य क्षमता का परिचायक है। भारत ने इस भयावह हमले का उत्तर 7 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में दिया। यह केवल एक सैन्य प्रतिशोध नहीं था, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक था। सीमित और लक्षित हमलों के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों द्वारा

इस कार्रवाई की विशिष्टता यह रही कि भारत ने अपने लक्ष्यों का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया, जिससे केवल आतंकवादी ठिकानों को ही क्षति पहुंचे और नागरिक हताहतों से बचा जा सके। यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप थी और इसने भारत की परिपक्व राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को प्रदर्शित किया।

बहुआयामी प्रभाव और राजनैतिक निहितार्थ

रणनीतिक दृष्टिकोण

यह अभियान भारत की आत्मरक्षा की प्रतिबद्धता और क्षमता का स्पष्ट

हालांकि, इस कार्रवाई ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव को बढ़ाया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

सैन्य दृष्टिकोण

यह अभियान एक बहु-आयामी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें वायुसेना और विशेष बलों का समन्वित उपयोग किया गया।

इसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूचना संग्रह और विश्लेषण क्षमता को भी उजागर किया है।

सैन्य नेतृत्व द्वारा अपनाई गई रणनीति न केवल प्रभावी थी, बल्कि इसने अनावश्यक क्षति से भी बचाव

के समग्र विकास हेतु नई पहल

गना के माध्यम से
के तक पहुंचेगा लाभ

सक्रिय सदस्यता अभियान में मिल रहा समाज का उत्साहपूर्ण सहयोग यह अभियान तेज़ी से प्रगति कर रहा है और समाज के युवाओं, वरिष्ठजनों तथा महिला वर्ग से भरपूर सहभागिता मिल रही है। सदस्यता पंजीकरण के लिए हर शनिवार और रविवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक विजयवर्गीय मांगलिक भवन में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां समाजजन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं।सदस्यता हेतु परिवार के मुखिया को आधार कार्ड (कोटा पते सहित),मतदाता पहचान पत्र,बिजली बिल
राशन कार्ड शिविर में लाने होंगे।

सदस्यता प्रक्रिया को गति देने हेतु मंडल द्वारा विभिन्न कार्यकारिणी सदस्यों की टीमें गठित की गई हैं, जो घर-घर जाकर समाजबंधुओं से व्यक्तिगत संवाद कर रही हैं। यह अभियान हर विजयवर्गीय परिवार को संगठन से जोड़ने का समर्पित प्रयास है।

इस अभियान के सुनियोजित संचालन हेतु मंडल के पदाधिकारियों की अलग-अलग प्रभारी टीमें बनाई गई हैं, जो क्षेत्रवार जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ये टीमें समय-सारिणी के अनुसार क्षेत्र में जाकर संवाद, दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण कर रही हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा - 324004
E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com ☎:0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी, सी/ओ निवासी प्रथम तल, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा, जिला- कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Enhancement in mining Lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project". M.L. No. 73/2008, Area- 4.56 ha., near village- Chechat. Tehsil-Ramganjmandi. District- Kota. (Raj.) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए गए है। चूंकि, मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Enhancement in mining Lease area from existing lease area of 4.00 ha. to 4.56 ha. by addition of strip land (0.56 ha) & enhancement in production capacity from existing production capacity of 79215 TPA to 112605 TPA (ROM) in existing Limestone Mining Project", के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं:-(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा। (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा। (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (9) कार्यालय तहसीलदार, चेचट। (10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद। (11) कार्यालय ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-चेचट, जिला-कोटा। अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.06.2025 को "ग्राम पंचायत भवन, चेचट", तहसील-चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से - (योग्यता सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी

जयपुर,(
राजस्
प्रतिनिधिम
व शुक्रवार
अधिकारि
विभिन्न स
मांग की इ
आयोग कें
आवास स
जो लंबे स
उसे शीघ्र
सरपंच संघ
रफीक पठ
मंडल ने
प्रदेश अ
नेतृत्व में र
पंत,
प्रमुख श
अरोड़ा,
आयुक्त
सचिव ग्रा
गोहा, नरे
सत्यानी,
के अधी
शर्मा,सहि
मुलाकात
पर उनसे
इसमें बत
व सामग्री
राज्य वित
करोड़,
लगभग 2
आवास प्र
करोड़ स्व
तक की ब
की मांग
इस पर
अखिलअ
जो राशि

परिशिष्ट-

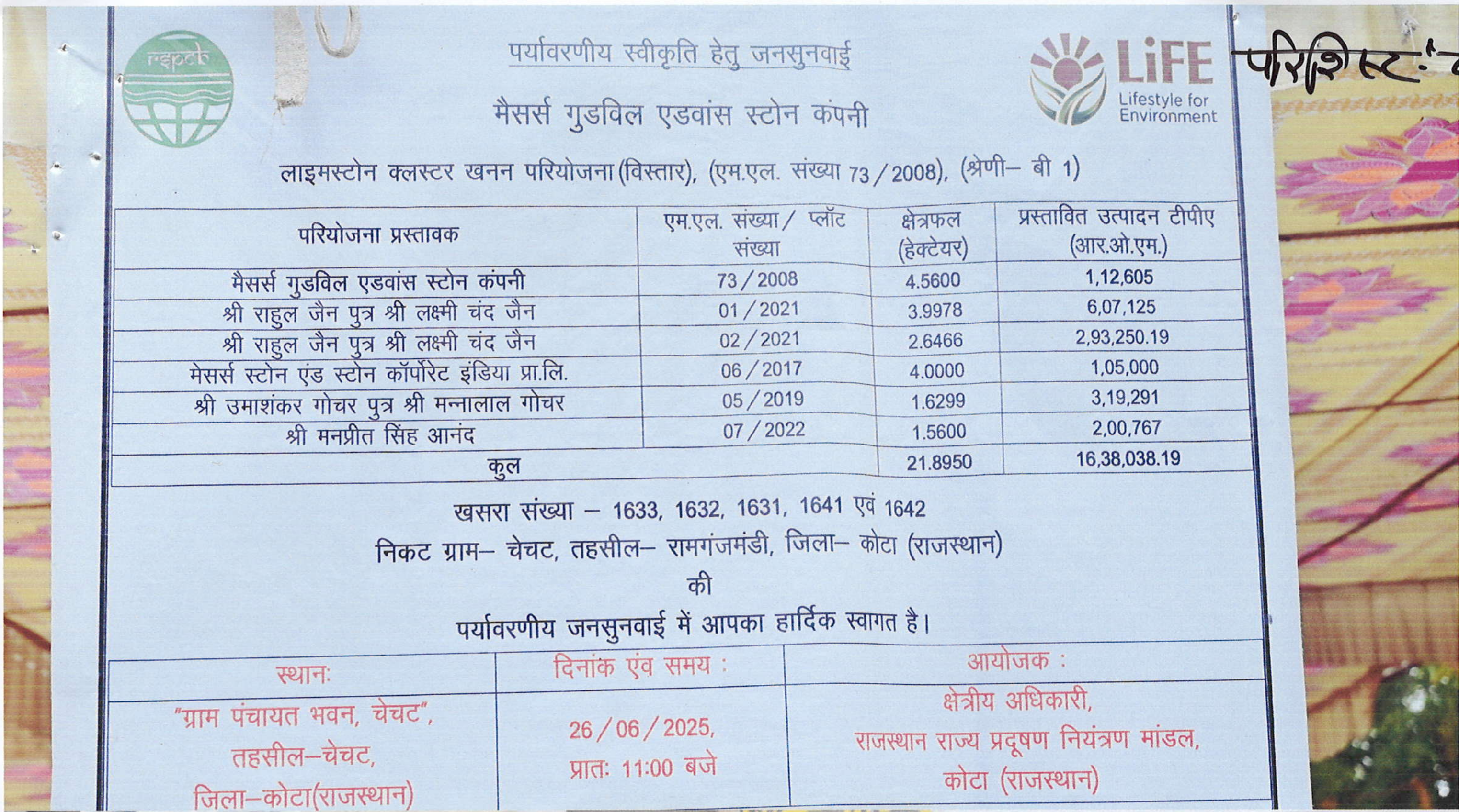

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी

लाइमस्टोन क्लस्टर खनन परियोजना (विस्तार), (एम.एल. संख्या 73 / 2008), (श्रेणी– बी 1)

परियोजना प्रस्तावक	एम.एल. संख्या / प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित उत्पादन टीपीए (आर.ओ.एम.)
मैसर्स गुडविल एडवांस स्टोन कंपनी	73 / 2008	4.5600	1,12,605
श्री राहुल जैन पुत्र श्री लक्ष्मी चंद जैन	01 / 2021	3.9978	6,07,125
श्री राहुल जैन पुत्र श्री लक्ष्मी चंद जैन	02 / 2021	2.6466	2,93,250.19
मैसर्स स्टोन एंड स्टोन कॉर्पोरेट इंडिया प्रा.लि.	06 / 2017	4.0000	1,05,000
श्री उमाशंकर गोचर पुत्र श्री मन्नालाल गोचर	05 / 2019	1.6299	3,19,291
श्री मनप्रीत सिंह आनंद	07 / 2022	1.5600	2,00,767
कुल		21.8950	16,38,038.19

खसरा संख्या – 1633, 1632, 1631, 1641 एवं 1642

निकट ग्राम– चेचट, तहसील– रामगंजमंडी, जिला– कोटा (राजस्थान)

की

पर्यावरणीय जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

स्थानः	दिनांक एंव समय :	आयोजक :
"ग्राम पंचायत भवन, चेचट", तहसील–चेचट, जिला–कोटा (राजस्थान)	26 / 06 / 2025, प्रातः 11:00 बजे	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मांडल, कोटा (राजस्थान)

GOODLUCK
DOLLAR
BIGBOSS
DOLLAR
BIGBOSS
22 जून 2025 5:14:58 pm
24°45'56.718"N 75°53'18.078"E
चेचत
कोटा डिवीजन
राजस्थान

महादेव कचौरी & स्वीट्स
23 जून 2025 11:56:24 am
24°45'56.976"N 75°53'18.108"E
चेचत
कोटा डिवीजन
राजस्थान

चेचट, जिला कोटा (राज.)
स्वागतम
विद्या ददाति विनयम
ज्ञा
न
से
वा
र्थ
प्र
स्था
न
24 जून 2025 9:41:59 am
24°45'49.944"N 75°53'44.556"E
भीलवाड़ा - मोदक मार्ग
चेचत
कोटा डिवीजन
राजस्थान

पांचाल
23 जून 2025 4:04:31 pm
24°46'9.258"N 75°52'58.83"E
चेचत
कोटा डिवीजन
राजस्थान

प्लास्टिक हटाओ।
पर्यावरण बचाओ
नो मास्क
नो ऐन्ट्री
तहसीलदार चेचट
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
कोटा (राज.)